अपील सूचना अधिकार संख्या 157/2016 अनवानी डा0 कैलाश चन्दर आहलूवालिया निवासी 2599 प्रथम तल, सेक्टर 22 सी, चण्डीगढ़ बनाम प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

06.02.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री डा0 कैलाश चन्दर उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री डा0 कैलाश चन्दर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2016 के द्वारा निम्न सूचना चाही थी:–

मैंने अपने आवेदन के साथ तत्काल संदर्भ हेतु हाईकोर्ट के ऑर्डर, डी.सी. (आर एण्ड आर) राजा–का तालाब, कांगड़ा के पत्र की प्रतिलिपि और हाई पावर कमेटी, दिल्ली के ऑवजर्वेशन की प्रतिलिपि सलंग्न की थी ताकि संदर्भ के लिए आपको किसी ओर श्रोत की आवश्यकता न पड़े।

आपने यह पत्र मसौदे सहित दिनांक 16.06.2016 को कोलोनाईजेशन कमिश्नर, बीकानेर को भेजा, पर आपने सिर्फ इसे बिना किसी आदेश के केवल फारवर्ड किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि यह पत्र बीकानेर दफतर में पड़ा रहा। कोलोनाईजेशन कमिश्नर के दफतर से पता चला कि इस में कोई स्पष्ट आदेश या निर्देश नही है जबकि मुनासिब कागजात मैने अपने आवेदन के साथ इसलिए भेजे थे कि तत्काल कार्रवाई हो सके। उनका यह भी कहना है कि न केवल आपके आदेश नही थे पर डी0सी0 राजा का तालाब कांगड़ा ने भी अस्पष्ट तौर पर केवल हाई पावर कमेटी, दिल्ली तथा हाईकोर्ट का हवाला भर भेजा। यह पत्र संभवतया अपर्याप्त था, पर सूचनार्थ जो मैने लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन के साथ डाक्यूमेंट भेजे थे उन्हें यदि पढ़ा जाता तो कार्रवाई संभव थी या शायद समय पर मुझे सूचना प्राप्त हो सकती थी।

इससे लगता है कि जो असली मुद्दा था उसकी उपेक्षा की गई। यदि उन्हे स्पष्टीकरण वांछित था तो कई द्रुतगामी साधन थे, पर यहां इन सब बातों का ध्यान नही रखा गया। हर स्तर पर किसी ने मेरे बारे में नही सोचा और केवल फारवर्ड की औपचारिकता में समय का ह्रास होता रहा।

मैं एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूँ कि मेरी उम्र का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। मैं अस्सी वर्ष का हूँ और कितनी देर प्रतीक्षा करूंगा।

मेरी क्वैरी निम्नलिखित है:–

1–मेरे आवेदन पर समय पर (समय के अंदर) कार्रवाई क्यों नही हुई जबकि सारी सूचनाएं आपके पास थी। आप हाई पावर कमेटी और हाईकोर्ट के फैसले की बिना पर कोई कार्रवाई कर सकते थे।

2–कमिश्नर कोलोनाईजेशन के दफतर का यह कहना कि डी.सी. का पत्र अस्पष्ट और अपर्याप्त था तो समय के अंदर अंदर उनसे स्पष्टीकरण क्यों नही मांगा गया?

3–क्या हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश शिमला का फैसला और हाई पावर कमेटी दिल्ली की तस्दीक, राजस्थान में मेरे मुरब्बा हासिल करने के अधिकार की स्थापना के लिए पर्याप्त नही है?

4–क्या आपने हाई पावर कमेटी के आदेशानुसार उन्हें (हाई पावर कमेटी को) अपने स्तर पर की गई कार्रवाई से अवगत करवाया?

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या एफ41(5)(16)राजस्व/सूचना/16/7232 दिनांक 20.10.16 प्रस्तुत किया है कि श्री कैलाशचन्द आहलूवालिया द्वारा माननीय शिमला उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2913/15 में पारित निर्णय की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में उपजिला कलक्टर, अनूपगढ से 5935 दिनांक 22.08.16 से रिपोर्ट चाही गई। उपजिला कलक्टर, अनूपगढ को कार्यालय से पत्रांक 6023 दिनांक 24.08.16, 6599 दिनांक 19.09.16 से स्मरण करवाने के उपरान्त भी रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कृत कार्यवाही की सूचना चाही जा रही है। अभ्यावेदन पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या एफ41(5)(16)राजस्व/सूचना/16/6021 दिनांक 24.0816 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के सलंग्न पत्रादि से याचिका संख्या 2913 में पारित निर्णय की पालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन के कम में कृत कार्यवाही की सूचना चाही गई है। आपका अभ्यावेदन कार्यालय को दिनांक 03.08.16 को प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन पर बिन्दुवार रिपोर्ट उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ से चाही जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही की जाकर आपको सूचित कर दिया जावेगा। आप इस सूचना से सन्तुष्ट नही है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर, गंगानगर के कार्यालय में अपील कर सकते है।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2429 दिनांक 21.11.16 से पत्र सं0 2270 दिनांक 02.11.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के पत्र सं0 एफ41(5)(16)राजस्व/सूचना/16/6021 दिनांक 24.0816 के संबंध में की गयी कार्यवाही, की गयी रिपोर्ट संबंधी सूचना चाही गयी थी जिसके संबंध में उनके कार्यालय के पत्र कमांक 2082 दिनांक 07.10.16 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रसंगित पत्र से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आपका आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र द्वारा आपने पूर्व में आवंटित रकबा के बदले अन्य रकबा आवंटन की मांग की गयी है। बतौर पौंग बांध विस्थापित आवंटन की कार्यवाही एक विधिक प्रकिया है, जिसमें पूर्व में आवंटित रकबा एवं मूल आवंटन पत्रावली के आधार पर आवंटन हेतु पात्रता का निर्धारण सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है, ऐसी स्थिति में आप द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है। वर्तमान में आपके अभ्यावेदन के संबंध में पूर्व में आवंटित रकबा के संबंध में तहसीलदार, अनूपगढ़ से रिपोर्ट ली जाकर शीघ्र ही सक्षम स्तर पर बतौर पौंग बांध आवंटन हेतु दस्तावेज प्रेषित कर दिए जावेंगें, जिसके संबंध में आपको पृथक से सूचित कर दिया जावेगा।

जिला कलेक्टर

अपीलार्थी श्री डा. कैलाश चन्दर के सूचना का अधिकार अधिनियम के उक्त आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया कि उसके द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर व उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ का आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर उसमें से कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर व लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर